

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार  
अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
30 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,  
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग:

लखनऊ दिनांक: 06 जून, 2018

विषय:- सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित हो रही परियोजनाओं के पारेषण लाइन एवं सब स्टेशन के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक 30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण के पत्र संख्या-436/यूपीनेडा-एसई-पीवी-215एमडब्लू-बिड/2015, दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-70 के आयोजनागत पक्ष में सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना हेतु प्राविधानित धनराशि में से बुन्देलखण्ड क्षेत्र में सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत मै0 सुखबीर एगो इनर्जी लि0, नई दिल्ली द्वारा जनपद महोबा में स्थापित की जा रही 20 मेगावाट क्षमता के ग्रिड संयोजित सोलर पावर प्लांट से विद्युत निकासी हेतु कार्यदायी संस्था 30 प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 (यूपीपीटीसीएल) द्वारा प्रेषित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन के सापेक्ष प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 556.48 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016-17 में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 278.24 लाख (रू0 दो करोड़ अठ्तर लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-817/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2016 दिनांक 30 जून 2016 द्वारा एवं अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि रू0 278.24 लाख (रू0 दो करोड़ अठ्तर लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-1388/45-वि0(अति0ऊ0स्रो0वि0)/2016 दिनांक 27 सितम्बर, 2016 द्वारा निर्गत की गयी थी।

30प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना की पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव के क्रम में प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 696.92 लाख (प्रति संलग्न) में से पूर्व में निर्गत धनराशि रूपये 556.48 लाख को समायोजित करते हुए अन्तर की धनराशि रू0 140.44 लाख (रू0 एक करोड़ चालीस लाख चालिस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय करने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि उपरोक्त योजना के अन्तर्गत नियमानुसार अपेक्षित आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर व्यय की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु यूपीपीटीसीएल कार्यदायी संस्था है। प्रायोजना का गठन यूपीपीटीसीएल द्वारा यूपीपीसीएल के वर्ष 2013-14 के शिड्यूल आफ रेट्स के आधार पर तैयार किया गया है तथा इसी के आधार पर लागत का आंकलन किया गया है।

3- प्रायोजना के निर्माण के समय यूपीनेडा द्वारा आगणना में उल्लिखित कार्य मदों की लागत का भुगतान वास्तविकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाएगा, तथा प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के प्रश्नात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाएगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि उसी मद पर व्यय की जायेगी, जिसके लिये स्वीकृत की गयी है और इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोग के लिये नहीं किया जायेगा। योजना पर किया जाने वाला व्यय स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जायेगा।

5- कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उसी कार्य के लिये पूर्व में किसी अन्य योजनान्तर्गत/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही ये कार्य किसी अन्य कार्यक्रम की कार्य योजना में सम्मिलित है।

6- प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था यूपीनेडा का होगा।

7- कार्यस्थल पर इसे संबंधित उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिलापट्ट/बोर्ड के रूप में जन साधारण की जानकारी के लिये प्रदर्शित किये जायेंगे।

8- प्रस्तावित प्रायोजना की विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रायोजना का प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा। यूपीनेडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्यों की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इसके लिए कार्य से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के बाद वीडियोग्राफी करायी जाये ।

9- अनुदान के कोषागार से आहरण हेतु बिल अनु सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

10- अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग समयबद्ध ढंग से शीघ्र पूर्ण कर लिया जाय। अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की भौतिक प्रगति के विवरण प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग/अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को उपलब्ध कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्य हेतु राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 02 माह में अर्थात् दिनांक 31 मई, 2019 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

11- अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्त विभाग एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करवाया जायेगा।

12- संशोधित आगणन में अंकित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था तथा यूपीनेडा का होगा।

13- उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरित/व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च 2018 तथा समय-समय पर जारी संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

14- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-70 के अधीन आयोजनागत लेखा शीर्षक-“4810-नये और नवीनीकृत ऊर्जा पर पूंजीगत परिव्यय-102-सौर ऊर्जा-04-सौर ऊर्जा स्रोतों पर आधारित विद्युत उत्पादन की प्रोत्साहन योजना-24 वृहत निर्माण कार्य” के नामे डाला जायेगा।

15- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या-1/2018/बी-1-375/ दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च, 2018 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)  
अनु सचिव ।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार (प्रथम) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) कोषाधिकारी, लखनऊ।
- (3) वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7,30 प्र0 शासन ।
- (4) राज्य योजना आयोग-1, 30प्र0 शासन।
- (5) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30 प्र0 इलाहाबाद।
- (6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र कुमार)  
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।